रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:— 119/2022 बआनवान हेमराम बनाम प्राधिकृत अधिकारी व अन्य	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में दिनांक 13.03.2024 की आदेशिका के बाद दिनांक 19.03.2024, 26.03.2024 एवं दिनांक 27.03.2024 की पेशियों पर भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में अयाचीगण के नाम एवं विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अवमानना प्रकरण में पदेन किसी को भी पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अवमानना हमेशा व्यक्तिगत रूप से पदाधिकारी के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है। बावजूद अवसर एवं न्यायालय आदेश, वकील प्रार्थी द्वारा पालना नहीं किये जाने के कारण इस प्रकरण को चलाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि प्रकरण में अयाचीगण का विवरण ही नहीं है। अतएव प्रार्थी का अवमानना प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, पाली जिला कलेक्टर, पाली	